रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 287/पी एन/92-97

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

फा. सं. 3/113/94-आई. पी. सी. 2 :—निर्यात एवं आयात नीति के पैरा-132 ख की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत दूरसंचार उपस्करों, इलैक्ट्रानिक सामान एवं सेवाओं के निर्यात विशेष आयात लाइसेंसों के आधार पर किये जाने की अनुमति दी गई है।

2. निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

3. पैरा 91, जो कि "इलैक्ट्रानिक मदों के आयात" के बारे में है, काट दिया जाएगा।

4. अध्याय – II – "निर्यात" में निम्नलिखित नया पैरा 209 ख जोड़ा जाएगा :—

दूरसंचार उपस्कर इलैक्ट्रानिक सामान एवं सेवाएं

209ख. दूरसंचार उपस्कर इलैक्ट्रानिक सामान और सेवाएं के सामने इस प्रकार पढ़ा जाए :—

परिशिष्ट 35 के सूचीबद्ध मदों के लिए विशेष आयात लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। ऐसे विशेष आयात लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

दूरसंचार उपस्कर, इलैक्ट्रानिक सामान और सेवाओं का निर्यात निम्नलिखित दरों पर विशेष आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र होंगे :—

(क) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातक (शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को छोड़कर) ..... निवल विदेशी मुद्रा का 30%

(ख) शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारी ..... निवल विदेशी मुद्रा का 15%

(ग) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों/निर्यात सदन व्यापार संवर्धन और स्टार व्यापार संवर्धन यूनिटों के लिए ..... निवल विदेशी मुद्रा का 15%

निवल विदेशी मुद्रा की गणना के लिए निर्यात आयात नीति, 1992–97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1995) के पैरा 138 के प्रावधान लागू होंगे।

परिशिष्ट 12 में दिए गए प्रपत्र में एक आवेदन पत्र क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी या संबंधित निर्यात संवर्धन क्षेत्र के विकास आयुक्त को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा :—

"(1) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित शिपिंग बिल की निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि।

(2) यदि निर्यातक ने शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किया है या निर्यातक एक निर्यातोन्मुखी यूनिट है अथवा ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी क्षेत्र में स्थित एक यूनिट है, सनदी लेखापाल द्वारा निवल विदेशी मुद्रा दर्शाता हुआ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।"

निर्यातक अपनी लिखित उक्त आवर्तिता के अंतिम महीने से छः महीने के भीतर, जैसे निर्यातक चाहे, त्रैमासिक (अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर इत्यादि), अर्ध-वार्षिक (अप्रैल से सितम्बर और अक्तूबर से मार्च) या वार्षिक आधार पर समेकित आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा।

उक्त प्रावधान 1-4-95 के बाद से किए गए निर्यातों के लिए लागू होंगे।

जो आवेदन पत्र या तो विशेष आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के पास पड़े हैं अथवा जो 1-4-95 से पहले किए गए निर्यातों के संबंध में अभी प्राप्त होने हैं, उन पर पूर्व प्रचलित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। फिर भी ऐसे मामलों में, लाइसेंसों के पृष्ठांकन की अनुमति केवल इलेक्ट्रानिक मदों के आयात के लिए होगी, जो कि अन्य परिशिष्ट 35 के क्रम सं. 7, 10 और 27 में उल्लिखित हैं।

5. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 287,PN|92-97

New Delhi, the 31st March, 1995

F. No. 3|113|94-IPC-II.—Attention is invited to paragraph 132B of the EXIM Policy which stipulates for grant ot Special Import Licences against export of telecommunication, equipments, electronic goods and services.

2. In exercise of the powers conferred under paragraph-16 of the Export and Import Policy 1992—97, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in the Hand Book of Procedures, 1992—97 (Vol. 1) :

3. Para 91, dealing with the 'import of electronic items' shall be deleted.

4. The following new para-209B shall be added in Chapter XI on 'Exports' :

"Export of tele-com. equipment, electronic goods and services".

209B. Against export of tele-communication equipment, electronic goods and services, Special Import Licences shall be granted for import of items listed in Appendix XXXV. Such Special Import Licences will be freely transferable.

The export of telecommunication equipment, electronic goods and services shall be eligible for grant of SIL at the following rates :

(a) Exporters in the Domestic Tariff area (Except licence holder under the Duty Exemption Scheme) .....30 per cent of NFE.

(b) The licence holder under the Duty Exemption Scheme..... 15 per cent of NFE.

(c) EOUs|units in the EPZs|EHTPs and STPs..... 15 per cent of NFE.

For calculation of NFE the the provisions made under Para 138 of the EXIM Policy-1992—97 (Revised Edition : March 1995) shall be applicable.

An application in the form given in Appendix XII shall be made to the regional licensing authority or the Development Commissioner of EPZ concerned, supported by the following document(s) :

(i) EP copy of the shipping bill duly attested by the customs authorities.

(ii) If the exporter has availed of a licence under DES or the exporter is an EOU or an unit in EPZ|EHTP|STP, a certificate by a Chartered Accountant indicating the net Foreign Exchange arrived at.

The consolidated application may be made on quarterly (April to June, July to September, etc.), half yearly (April to September and October to March) or on yearly basis, within six months from the last month of the above periodicity as the exporter may opt for.

These provisions will be applicable for the exports made w.e.f. 1-4-1995.

Applications which are either pending with the concerned authority for grant of SIL or which are likely to be received in respect of exports made prior to 1-4-1995 shall be considered in accordance with the pre-existing provisions. However in such cases, the licences will be allowed to be endorsed only for import of the electronic items which are now listed at Sl. Nos. 7, 10 and 27 of Appendix XXXV."

5. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General

of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995